

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2024

05 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप के साथ 02 नफर पशु तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्र0नि0 थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 सुधांशु सिंह मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.गंगेश कुशवाहा पुत्र भुल्लन कुशवाहा निवासी सिधुआ स्थान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर व 2.शाहबाज पुत्र मकबूल निवासी बसहिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को 05 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 731/2024 धारा 109 BNS व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23/24.12.2024 की रात्रि में थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त को 05 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. गंगेश कुशवाहा पुत्र भुल्लन कुशवाहा निवासी सिधुआ स्थान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
 - i. मु0अ0सं0 138/2019 धारा 364ए,507 भा0द0वि0 थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
 - ii. मु0अ0सं0 159/2019 धारा 120B,356 भा0द0वि0 थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. शाहबाज पुत्र मकबूल निवासी बसहिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 731/2024 धारा 109 BNS व 11 पशु क्रूरता अधि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

- 1- 05 राशि गोवंश
- 2- एक अदद पिकअप (बिना नम्बर प्लेट का)

गिरफ्तारी की टीम-

- 1- उ0नि0 सुधांशु सिंह, चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी गोलघर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अमित कुमार चौबे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- 4.का0 विकास यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. का0 चन्द्राकर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर